राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या/36/2015/जैसलमेर

मैसर्स गजानन्द मार्बल,
रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, जैसलमेर। .....अपीलार्थी

बनाम्

अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम,
वाणिज्यिक कर जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :
श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक। ....अपीलार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 32/आरवैट/बीएमआर/13–14 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम, जैसलमेर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2014 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत् संशोधन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर आरोपित कुल मांग राशि रूपये 67,500/– को यथावत रखा गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण डीम्ड योजना के तहत् दिनांक 12.11.2013 को पारित कर शुन्य मांग व शुन्य आई.टी.सी. C/F किया, जबकि प्रस्तुत वैट 10 व 10ए में राशि रूपये 1,61,766/– की आई.टी.सी. क्लेम आगे C/F करना उल्लेखित है। इस पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तृतीय व चतुर्थ तिमाही का मेन्युअली संशोधित वेट 10 प्रस्तुत कर पूर्व के विवरण पत्रों में क्लेम आई.टी.सी. को संशोधित करते हुए अतिरिक्त क्लेम सहित समस्त आई.टी.सी. राशि रूपये 2,16,766/– को स्वीकृत कर आगे C/F करने का निवेदन किया। इस पर सशक्त अधिकारी ने मेन्यूअली संशाधित विवरण पत्रों में क्लेम आई.टी.सी. को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त क्लेम आई.टी.सी. राशि रूपये 67,500/– को अस्वीकृत कर दिया। सशक्त अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.10.2014 द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने वर्ष 2011–12 की चतुर्थ तिमाही में दिनांक 01.12.2012 को राशि रूपये 11,00,000/– तथा दिनांक 26.03.2012 को राशि रूपये 2,50,000/– की मशीने केपीटल गुड्स के रूप में खरीदी है, जिन पर क्रमशः राशि रूपये 55,000/– एवं राशि 12,500/– कुल राशि रूपये 67,500/– के कर का भुगतान किया गया, जिस पर आई.टी.सी. स्वीकार किया जाना चाहिए था। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने **निर्णय (2012) 33 टीयूडी–159 (डीबी) एवं (2013) 20 वैट रिपोर्टर 20 (एसबी)** को उद्धरित किया है। आगे उन्होने अपने कथन में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर कर सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्को कहा कि अपीलार्थी द्वारा जो अतिरिक्त आई.टी.सी. क्लेम किया थे, वह कर निर्धारण आदेश पारित होने के बाद पेश किये गए थे। इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किया गया विवादित आई.टी.सी. का क्लेम समयावधि में विधिक प्रावधानानुसार नहीं किया गया था। अतः उन्होंनें सशक्त अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस एवं लिखित बहस पर मनन किया गया, तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अध्ययन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण डीम्ड योजना के तहत् दिनांक 12.11.2013 को पारित कर शुन्य मांग व शुन्य आई.टी.सी. C/F किया, जबकि प्रस्तुत वैट 10 व 10ए में राशि रूपये 1,61,766/– की आई.टी.सी. क्लेम आगे C/F करना उल्लेखित है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तृतीय व चतुर्थ तिमाही का मेन्युअली संशोधित वेट 10 प्रस्तुत कर आई.टी.सी. राशि रूपये 2,16,766/– को स्वीकृत कर आगे C/F करने का निवेदन किया। परन्तु सशक्त अधिकारी ने मेन्यूअली संशाधित विवरण पत्रों में क्लेम आई.टी.सी. को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त क्लेम आई.टी.सी. राशि रूपये 67,500/– को अस्वीकृत कर दिया। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. पर किया गया क्लेम कर निर्धारण करने के पश्चात् किया गया तथा उक्त आगत कर का समयावधि में प्रस्तुत रिटर्न्स में क्लेम नहीं किया है, तो इस प्रकार के क्लेम को आगे C/F नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी व्यवहारी उद्धरित निर्णय **निर्णय (2012) 33 टीयूडी–159 (डीबी) एवं (2013) 20 वैट रिपोर्टर 20 (एसबी)** में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि व्यवसायी ने त्रैमासिक रिटर्न्स के साथ वैट–07 में आगत कर का क्लेम नहीं किया है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत वैट ऑडिट रिपोर्ट में क्लेम किए गए आगत कर का बाद सत्यापन लाभ दिया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में व्यवसायी ने न तो वैट ऑडिट रिपोर्ट में कोई आगत कर का क्लेम किया है और न ही वार्षिक विवरण पत्र वैट 10ए में क्लेम किया है। अतः अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उद्धरित न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में लागू नहीं होते है। व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न्स के आधार

लगातार.....3

पर ही कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण आदेश पारित किया है। व्यवसायी द्वारा विभागीय वेबसाईट पर अपलोडेड व कार्यालय में प्रस्तुत विवरण पत्रों में इन्द्राजित आई.टी.सी. राशि रूपये 1,60,974/– का लाभ प्रदान कर दिया गया है। वर्ष 2011–12 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 12.11.2013 को पारित होने के पश्चात् व्यवसायी ने मेन्युअली संशोधन विवरण पत्रों में आई.टी.सी. क्लेम करते हुए अधिनियम की धारा 33 में कर निर्धारण अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 08.01.2014 को निर्णित करते हुए आदेश दिए है कि मेन्युअली संशोधन विवरण पत्रों में केपीटल गुड्स पर अतिरिक्त क्लेम की गई आई.टी.सी. राशि रूपये 67,500/– कर निर्धारण आदेश पारित होने के बाद व नियमानुसार विवरण पत्र संशोधन करने के लिए प्रदत्त समयावधि के बाद प्रस्तुत क्लेम होने के कारण अस्वीकार की गई है। अधिनियम की धारा 33 रिकॉर्ड पर रही भूल के संशोधन बाबत् है। चूंकि पत्रावली के अनुसार पारित कर निर्धारण आदेश में रिकार्ड पर कोई भूल नहीं पाई गई है, जिसे संशोधन किया जाना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 33 के तहत् वक्त कर निर्धारण तक प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी प्रकार की रिकॉर्ड की भूल रही है, तो ही संशोधन योग्य है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 33 के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी का आदेश भी विधिसम्मत होने के कारण यथावत् रखा जाता है।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है, एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.2014 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य